



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062021-227913
CG-DL-E-26062021-227913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2370]
No. 2370]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2557(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के शासकीय राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन और राजमार्ग विभागकी का.आ. संख्या 1780 (अ), दिनांकित ०६/०५/२०२१ के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा "गोवा राज्य में वोरकोंडा के पास धारगालिम से मोपा एयरपोर्ट (न्यू NH-166S) तक NH-66 (ओल्ड NH-17) के साथ इसके जंक्शनसे लिंक सड़क के निर्माण के लिए "अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिका अर्जन करने हेतु एतद्वारा अपने आषय की घोषणा करती है;

और जबकि, अधिसूचना का सार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के शासकीय राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांकित 06/05/2021 में उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन स्थानीय अखबार "द नवहिंद टाइम्स", "भांगरभूय" और "गोमांतक (मराठी)" सभी दिनांकित १८/०५/२०२१ को प्रकाशित किया गया है;

और जबकि, अधिसूचना के राजपत्र और स्थानीय अखबार में प्रकाशन के पश्चात्, कोई भी इच्छुक व्यक्तिने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 (घ) की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

इसलिए, अब सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट हो जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उप-धारा (1) के

द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ उपबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा;

और इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार,

अनुसूची

गोवा राज्य में वोरकोंडा के पास धारगालिम से मोपा एयरपोर्ट (न्यू NH-166S) तक NH-66 (ओल्ड NH-17) के साथ इस के जंक्शन से लिंक सड़क के निर्माण करने के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण (अतिरिक्त क्षेत्र)

राज्य का नाम: गोवा		जिले का नाम: उत्तर गोवा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पेडणे				
	गांव का नाम: धारगल				
1	258/2 (Part)	अन्य	वेट	0.0021	ओ: १) रुक्मिणी लाडकोवा प्रभुदेसाई, २) उत्तम रामचंद्र प्रभुदेसाई, ३) जयवंती गणपत मतकर, ४) काशीबाई पांडुरंग प्रभुदेसाई, ५) घनश्याम यशवंत प्रभुदेसाई, ६) रघुनाथ केशव प्रभुदेसाई, ७) महादेव गणश्याम प्रभुदेसाई, ८) रावजी तुकाराम प्रभुदेसाई, ९) बाळचंद्र गोपाळ प्रभुदेसाई, १०) जयराम बाळकृष्ण प्रभुदेसाई, ११) शिवाजी गोविंद देसाई पार्सेकर, १२) वामन विष्णु प्रभुदेसाई, १३) शिवराम बाळकृष्ण प्रभुदेसाई, १४) बाळचंद्र मुकुंद प्रभुदेसाई, १५) रावजी पांडुरंग प्रभुदेसाई, १६) घनश्याम विठ्ठल प्रभुदेसाई, १७) सरकार गोवा: गोवा तिलारी पाटबंधारे विकास महामंडळ, धरगल क्षेत्र: 13260० चौ.मी., १८ रुद्रश राजेंद्र हळर्णकर, क:) शून्य, अ:) धारेश्वर मंदिर, नारायण मंदिर पुर्वचारी, भुइक्मा, वेस तुळस, दीपमाला, समाधी - १२४८ (२५८/२ (पार्ट))
2	259/1 (Part)	अन्य	वेट	1.2306	ओ: १) घनश्याम विठ्ठल प्रभुदेसाई, २) बाबूराव नारायण प्रभुदेसाई, ३) गंगाजी पांडुरंग प्रभुदेसाई, ४) रघुनाथ गंगाजी प्रभुदेसाई, ५) शिवाजी गोविंद पार्सेकर, ६) गोविंद बाळकृष्ण प्रभुदेसाई, ७) वामन विष्णु प्रभुदेसाई, ८) पुरुषोत्तम फोंडू प्रभुदेसाई, ९) सरकार गोवा, १०) सरकार गोवा: कार्यकारी अभियंता, डब्ल्यूडी सातवा (एनएच), पीडब्ल्यूडी,

					गोवा, ११) सरकार गोवा: गोवा तिलारी पाटबंधारे विकास महामंडळ, धारगल क्षेत्र: 750० चौ.मी, १२) वैशाली रामचंद्र प्रभुदेसाई, क) शून्य, अ) शून्य (२५९/१ (पार्ट))
			कुल	1.2327	

[फा. सं. 1-1-05/CE-(NH,R&B/(PWD/Vol.I/14/3D)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

S.O. 2557(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways Number S.O.1780(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) dated 06.05.2021, issued under sub section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for **“CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM ITS JUNCTION WITH NH-66 (OLD NH-17) NEAR DHARGALIM TO MOPA AIRPORT (NEW NH-166S) NEAR VARCONDA IN THE STATE OF GOA” (Additional Area 3D).**

And whereas, the substance of the said Notification has been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) dated 06.05.2021, issued under sub section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and local newspapers namely “The Navhind Times”, “Gomantak”, and “Bhangar Bhuiin” all dated 18.05.2021, as required under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, in response to the said notification and its publication in the local newspapers, the Competent Authority was not in receipt of any objection from any persons interested in land, proposed for acquisition;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of the section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in pursuance of section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this Notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

BRIEF DESCRIPTION OF THE LAND TO BE ACQUIRED FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM ITS JUNCTION WITH NH-66 (OLD NH-17) NEAR DHARGALIM TO MOPA AIRPORT (NEW NH-166S) NEAR VARCONDA IN THE STATE OF GOA (ADDITIONAL AREA 3D).

State: GOA		District: NORTH GOA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pernem				
	Village: Dhargalim				

1	258/2 (Part)	Common	Wet	0.0021	O: 1) Rukmini Ladboba Prabhudesai, 2) Uttam Gopal Pabhudesai, 3) Jaivanti Ganpat Matkar, 4) Kashibai Pandurang Prabhudesai, 5) Ghanshyam Yeshwant Prabhudesai, 6) Raghunath Keshav Prabhudesai, 7) Mahadev Ganshyam Prabhudesai, 8) Raoji Tukaram Prabhudesai, 9) Balchandra Gopal Prabhudesai, 10) Jairam Balkrishna Prabhudesai, 11) Shivaji Govind Desai Parsekar, 12) Vaman Vishnu Prabhudesai, 13) Shivram Balkrishna Prabhudesai, 14) Balchandra Mukund Prabhudesai, 15) Raoji Pandurang Prabhudesai, 16) Ghanshyam Vothal Prabhudesai, 17) Govt. of Goa: Goa Tillari Irrigation Development Corporation, Dhargal Area: 13260 Sq.mts, 18) Rudresh Rajendra Halarnkar, T: NIL, OR: Dhareshwar Temple, Narayan Temple Purwachari, Bhuikma, Ves Tulas, Deepmala, Samadhi- 1248 258/2 (Part)
2	259/1 (Part)	Common	Wet	1.2306	O: 1) Ghanshyam Vithal Prabhudesai, 2) Baburao Narayan Prabudesai, 3) Gangaji Pandurang Prabhudesai, 4) Raghunath Gangaji Prabudesai, 5) Shivaji Govind Parsekar, 6) Govind Balkrishna Prabhudesai, 7) Vaman Vishnu Prabhudesai, 8) Purushottam Fondu Prabhudesai, 9) Govt. of Goa, 10) Govt. of Goa: Executive Engineer, WD VII (NH), PWD, Goa, 11) Govt. of Goa: Goa Tillari Irrigation Development Corporation, Dhargal Area : 750 Sq.mts., 12) Vaishali Ramchandra Prabhudesai, T) NIL, OR) NIL 259/1 (Part)
			TOTAL	1.2327	

[F. No. 1-1-05/CE-(NH,R&B/(PWD/Vol.I/14/3D)]

RAJESH GUPTA, Director